प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) केम्पः— अटल सेवा केन्द्र, एड सिणधरी)

प्रकरण सं.:— 134 / 2018

दिनांकः—20.6.2018

क्रमांकः--लो.अदा. / 2018 / 1757

आदेश

वादी श्री धोलाराम पुत्र चुतराराम जाति मेगवाल निवासी करडाली नाड़ी तहसील सिणधरी की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम करड़ाली नाड़ी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 20,21,271 / 21 कुल रकबा 79—15 बीधा भूमि मेरे पिता चुतराराम की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। मेरे पिता के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण में धेरलू बोलाचल भाषा में मेरा नाम नरीगां दर्ज कर दिया गया। जबकि मेरा वास्तविक नाम नरीगां न होकर धोलाराम है। अतः वादग्रस्त भूमि में नरींगा के स्थान पर धोलाराम दर्ज किया जावें।

वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के वादपत्र की जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। वादी एवं उसकी माता मोनी के बयानात कलमबद्व कर शामिल मिसल किये गये।

तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोर्ट के अनुसार वादी के पिता चुतराराम के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण के समय वादी का भूलवंश राजस्व रिकार्ड में नरींगा दायर किया गया। जबकि सरकारी दस्तावेज यथा—आधार कार्ड,वोटरकार्ड में वादी का सही नाम धोलाराम अंकित है। एवं वादी एवं उसकी माता मोनीदेवी के बयानात से साबित होता है,कि वादी का वादग्रस्त नाम नरींगा न होकर धोलाराम है। एवं मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि वादी का वास्तविक नाम धोलाराम है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी जांच रिर्पोर्ट में वादग्रस्त भूमि में नरींगा के स्थान पर धोलाराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम **करडाली नाडी** तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत **2073—2076** में खाता संख्या **5** के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि **नरींगा पुत्र चुतरा** के स्थान पर **नरींगा उर्फ धोलाराम पुत्र चुतराराम** दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी
दिनांकः—20.6.18

क्रमांकः--लो.अदा. / 2018 / 1758—60

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **नरींगा उर्फ धोलाराम पुत्र चुतराराम** निवासी **करडाली नाडी** तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner